आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं0– .... से ....

जिला – गिरिडीह, अंचल – धनवार, विविध वाद सं0– 46 / सन–2025– 26

केस का प्रकार – विविध वाद

आदेश का क0 सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

–:आदेश: –

04.08.2025

यह विविध वाद अभिलेख सं0– 46 / 2025– 26 आवेदक रामदेव बढ़ई, पिता– मोती राना, साकिन– गरजासारन, थाना– धनवार, जिला– गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं0– 08, श्री राहुल कुमार वर्मा के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है।

राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0– 08, श्री राहुल कुमार वर्मा ने अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि आवेदित आवेदित भूमि मौजा– गरजासारण, थाना नं0– 195, रैयती खाता सं0–12, प्लॉट नं0–8 एवं 493, रकवा– $40\frac{1}{3}$ डी0 भूमि केवाला सं0–1068, दिनांक–12.11.1972 द्वारा कैलाश बढ़ही एवं रामदेव बढ़ही को प्राप्त है। लगान रसीद वर्ष 1981–82, 1986–87, 1987– 88, 1990–91, 1995–96, 1999–2000, 2008–09 एवं 2010–11 का कैलाश बढ़ही वगै0 के नाम रकवा– $40\frac{1}{3}$ डी0 संलग्न है, जिसमें भाग सं0– 01, पृष्ठ सं0– 242 दर्ज है।

उन्होनें आगे प्रतिवेदित किया है कि हल्का में उपलब्ध पंजी–II के भाग–01 का अवलोकन किया अवलोकनोंपरान्त पाया कि पंजी–II का भाग–01 क्षतिग्रस्त है।

अतं में प्रतिवेदित किया है कि अंचल अमीन से मापी कर दखल–कब्जा स्पष्ट होने एवं आम इस्तेहार कर अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात ऑनलाईन जमाबंदी कायम करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0–08, श्री राहुल कुमार वर्मा / अंचल अमीन / अंचल निरीक्षक, धनवार के द्वारा नक्शा सहित मापी–सह–दखल कब्जा प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन अनुसार वादगत भूमि यथा मौजा– गरजासारण, थाना नं0–195, रैयती खाता सं0–12, प्लॉट नं0–8, रकवा–$31\frac{1}{3}$ डी0 भूमि पर जमाबंदी रैयत तथा उनके वंशज दखलकार है।

जमाबंदी रैयत के जीवित वारिशानों ने शपथ पत्र सं0– 105, दिनांक– 02.08.2025 के माध्यम से शपथपूर्वक बयान दिया है कि उपरोक्त जमाबंदी के $31\frac{1}{3}$ डी0 भूमि का ऑनलाईन जमाबंदी कायम करनें में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तथा भविष्य में भी कोई आपत्ति नहीं करेंगे।

वादगत भूमि का ऑनलाईन पंजी–II में जमाबंदी कायम करने के निमित आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0–08, श्री राहुल कुमार वर्मा / अंचल अमीन / अंचल निरीक्षक, धनवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मापी–सह–दखल–कब्जा संबंधित प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए लगान रसीद एवं शपथ पत्र सं0–105, दिनांक– 02.08.2025 तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा– गरजासारण / 195 के ऑनलाईन पंजी–II में खाता सं0– 12, प्लॉट नं0– 8, रकवा– $31\frac{1}{3}$ डी0 भूमि की ऑनलाईन जमाबंदी कायम करने का आदेश दिया जाता है।

Digitally signed by Gulzar Anjum
Date: 2025.08.04 17:36:18 +05:30
Location: 192.168.137.1

लेखापित एवं संशोधित।

04.08.25

अंचल अधिकारी,
धनवार।

04.08.25

अंचल अधिकारी,
धनवार।